<u>न्यायालयः– अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी सदर, सीतामढ़ी।</u>

परिवाद पत्र संख्या– 1505/2019

चमचम देवी..परिवादिनी

बनाम

विरेन्द्र कुमार सिंह वो0..अभियुक्तगण

<u>04.11.2023</u> अभिलेख प्रस्तुत किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतित होता है कि प्रस्तुत परिवाद पत्र परिवादिनी चमचम देवी द्वारा अभियुक्त विरेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य के विरूद्ध दिनांक 17.10.2019 को दायर की थी।

परिवादिनी द्वारा उक्त तिथि से आज तक मात्र अपना शपथ पर बयान तथा एक जॉच साक्षी का ही साक्ष्य दे पायी है। परिवाद पत्र लम्बे समय से जॉच साक्ष्य हेतु चला आ रहा है। परिवादिनी लम्बे समय से अनुपस्थित चली आ रही है। उनकी ओर से कोई पैरवी भी नही की जा रही है। परिवादिनी को पूर्व मे हीं जॉच साक्ष्य हेतु अंतिम मौका दिया गया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी को प्रस्तुत परिवद पत्र चलाने मे कोई अभिरूचि नहीं हैं।

फलस्वरूप परिवादिनी द्वारा दायर प्रस्तुत परिवाद पत्र को धारा– 203 द0प्र0स0 के अन्तरर्गत खारिज किया जाता है। कार्यालय अभिलेख अभिलेखागार मे जमा करें।

लेखापित

Sd/-
S.D.J.M. Sadar
Sitamarhi